न्यायाधीशों का कार्यकाल (Tenure of Judges)

→ 62 वर्ष की आयु (Age of 62 years) ⇒ अधिकतम आयु (Maximum Age)

→ त्यागपत्र (Resignation) ⇉ राष्ट्रपति को देते हैं।

न्यायाधीशों का हटाया जाना (Removal of Judges)

⇒ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह हटाया जाता है।

Art. 219 ⇒ शपथ (oath) - का प्रारूप (Draft) ⇒ Schedule - 3 (अनुसूची - 3)
↳ शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलायी जाती है।

Art. 221 ⇒ न्यायाधीशों का वेतन ⇒ राज्य की संचित निधि से दिया जायेगा लेकिन पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है।

Salary (वेतन) → मुख्य न्यायाधीश (chief justice) ⇒ 2,50,000 रु०

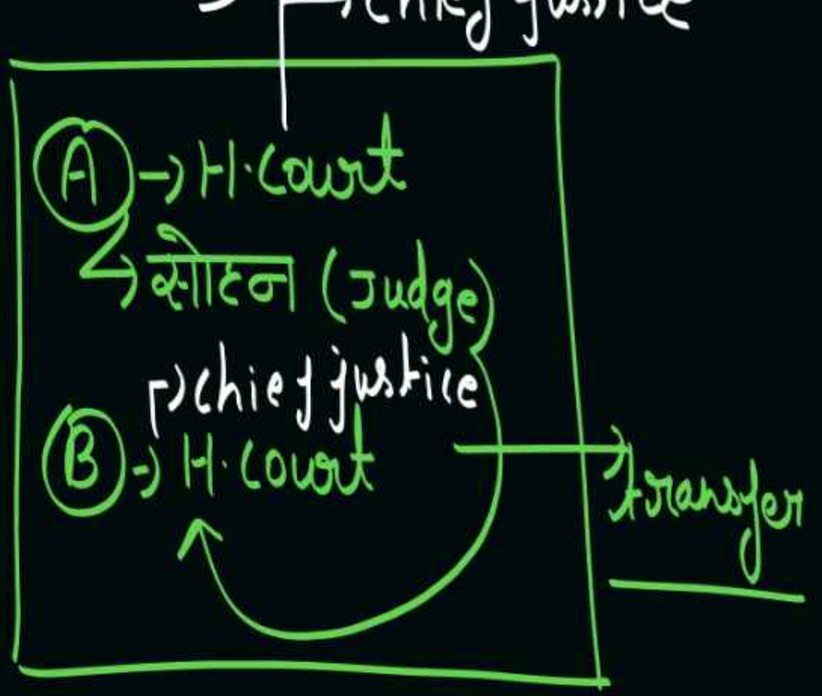
→ अन्य ,, (other ,,) ⇒ 2,25,000 रु०

Art. 222 Transfer of Judges (न्यायाधीशों का स्थानांतरण)

→ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है लेकिन S. Court के मुख्य न्यायाधीश (chief justice of Supreme court) से परामर्श के बाद।

→ chief justice of H. court (उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश)

→ " " " " "



न्यायाधीशों पर प्रतिबन्ध (Restriction on Judges)

वह उच्चतम न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य (Plead or act) नहीं करेगा* (अनु. 220)।

He shall not plead or act before any court or authority except the Supreme Court and other High Courts* (Article 220).

अधीनस्थ न्यायालय में कार्य → नहीं कर सकते है।

Ex. ⇒ मोहन → H. Court (Judge) ⇒ Retire
↳ S. Court में कार्य कर सकते है।
↳ उसके अलावा, उन H. Court को छोड़कर जिनमें यह कार्य

कर चुके हैं, उनके अलावा दूसरे H. Court में कार्य कर सकते हैं।

- ~~प्रयागराज H. Court~~
- ~~कलकत्ता H. Court~~
- ~~चेन्नई H. Court~~

उच्च न्यायालय की शक्तियाँ

Powers of H. court – ① Art. 226 → मौलिक अधिकारों की सुरक्षा

② न्यायिक पुनर्विलोकन

③ Art. 215 - अभिलेख न्यायालय (Court of Record)

④ अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate jurisdiction)

↳ H. court अपने अधीनस्थ न्यायालयों (Subordinate court) के निर्णय के विरुद्ध (Against of judgement) अपील सुनता है।

↳ दीवानी मामले (Civil Matters), फौजदारी मामले (Criminal Matters), राजस्व मामले ↳ Revenue Matters

→ ऐसे कितने H. Court हैं जो सम्पूर्ण या अधिक राज्यों / केंद्र शासित प्रदेश पर अपना क्षेत्राधिकार (jurisdiction) रखते हैं –

(1) मुम्बई H. Court ⇒ गोवा, दादर नागर हवेली & दमन दीव, महाराष्ट्र

(2) कोलकाता H. Court ⇒ पँ० बंगाल, अंडमान & निकोबार

(3) गुवाहाटी H. Court ⇒ असम, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम

(4) केरल H. Court ⇒ केरल, लक्षद्वीप

(5) पंजाब और हरियाणा H. Court ⇒ पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़

(6) चेन्नई H. Court ⇒ तमिलनाडु, पुदुचेरी।

23 March 2013
मेघालय H. Court → 23
23 ← मणिपुर H. Court
त्रिपुरा H. Court → 25 March 2013
26 March 2013
24

अधीनस्थ न्यायालय
Subordinate court

- Part (VI) भाग - 6
- Art. 233 - 237

→ H. court के अधीन (under) और उसके नियंत्रण (control) में कार्य करने वाले न्यायालयों को संविधान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate court) कहा जाता है।

⇒ अधीनस्थ न्यायालय, जिला स्तर (District level) का न्यायालय होता है।

⇒ जिला न्यायालय (District court) → classification वर्गीकरण - 3 भागों में

1. दीवानी न्यायालय (Civil court)
2. फौजदारी न्यायालय (Criminal court)
3. राजस्व न्यायालय (Revenue court)